


न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

465  
12/6/18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... व भू-अभिलेख निरीक्षक ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ...../नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील ..... व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् ..... में खाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	सिलपुर	45	भगवान सिंह ओम प्रकाश पि. डेवीराम हि 1/2 भगवान सिंह पुत्र धमण्डी हि 1/2 काम चमार सा. गुडला (देवको से संबंधित)	भगवान सिंह ओम प्रकाश पि. डेवीराम हि 1/2 भगवान सिंह पुत्र धमण्डी हि 1/2 काम जाटव सा. गुडला (देवको से संबंधित)

  
12/06/18  
( उप खण्ड अधिकारी )  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत, कैम्प .....  
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक : -

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।